

अध्याय V: कृषि आय से संबंधित निर्धारणों

5.1 प्रस्तावना

संविधान का अनुच्छेद 366(1) प्रावधान करता है कि संविधान में वाक्यांश 'कृषि आय' का तात्पर्य भारतीय आय कर से संबंधित व्यवस्था के उद्देश्य हेतु यथा परिभाषित कृषि आय से है। आय कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 2 (1क) के अनुसार 'कृषि आय' का तात्पर्य (क) भूमि, जो भारत में स्थित है और कृषि उद्देश्य हेतु उपयोग की जाती है, से प्राप्त कोई किराया या राजस्व; (ख) कृषि उत्पाद के संसाधन सहित कृषि प्रचालनों, जिससे उत्पादों को बाजार या बिक्री के लिए उपयुक्त बनाया जा सके, द्वारा ऐसी भूमि से प्राप्त कोई आय; (ग) अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के विषयाधीन फार्म हाऊस पर आरोप्य कोई आय और (घ) नर्सरी में उगाई गई पौध या पौधे से प्राप्त कोई आय है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) के अनुसार कृषि आयकर-आयकर आय को कर से छूट दी गई है। कृषि आय पर कर भारतीय संविधान के अंतर्गत 'राज्य सूची' में प्रविष्टि 46 के तहत आता है। इस प्रकार, केवल राज्य सरकारें कृषि आय के कराधान हेतु कानून बनाने में सक्षम हैं। केंद्र सरकार कृषि आय पर आय कर उद्ग्रहण नहीं कर सकती। तथापि, आय कर देयता अर्थात् व्यक्तियों की, अविभाजित हिंदु परिवारों (एचयूएफ), व्यक्तियों के संगठन (एओपी), व्यक्तियों के निकायों (बीओआई) और बनावटी न्यायिक व्यक्तियों की अन्य करयोग्य आय पर लागू कर की दर⁹¹ निर्धारित करते समय दर उद्देश्यों के लिए कृषि आय पर विचार किया जाता है। आयकर कानून के अंतर्गत छूट का दावा कृषि आय, कृषि भूमि की बिक्री से आय, कृषि भूमि के अधिग्रहण हेतु सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति के रूप में अर्जित आय आदि के रूप में किया जा सकता है।

5.2 विधिक प्रारूप

अधिनियम की धारा 2(1क) में कृषि आय को परिभाषित किया गया है। वित्त अधिनियम की धारा 2(2) और 2(13) तथा भाग IV कुछ गैर-कॉर्पोरेट निर्धारितियों पर लागू आय कर की दर निर्धारित करने के उद्देश्य से निवल कृषि आय की गणना से डील करता है। धारा 10(1) किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना में कृषि आय से छूट का प्रावधान करती है। आयकर नियमावली, 1962

⁹¹ बशर्ते निवल कृषि आय पिछले वर्ष से ₹ 5,000 बढ़ गई है और निवल कृषि आय को छोड़कर कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक हो गई (वित्त (सं.2) अधिनियम, 2014 द्वारा पश्च संशोधित)

के नियम 7, 7क, 7ख और 8 उस आय से डील करते हैं जो आंशिक रूप से कृषि और आंशिक रूप से व्यवसाय से प्राप्त आय है।

5.3 हमने यह विषय क्यों चुना

5.3.1 तीसरे कर प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट (2014) ने टिप्पणी की कि गैर-कृषकों की कृषि आय का कर से बचने तथा धन की लूट के लिए वाहक के रूप में लगातार उपयोग किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष करोड़ों का राजस्व रिसाव हुआ। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी काले धन पर श्वेत पत्र पर रिपोर्ट (2012) में उद्धृत था कि कृषि का देश की जीडीपी में योगदान लगभग 14 प्रतिशत है।

5.3.2 चूंकि कृषि आय को आय कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत छूट दी गई है, अतः दावे की पर्याप्त जांच के बिना आय कर उद्देश्यों हेतु कृषि आय को क्रेडिट देने से अपात्र आय पर छूट की अनुमति का जोखिम हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि होगी। केवल योग्य आय पर छूट की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए कृषि आय के लेखा पर छूट के दावे हेतु जांच के लिए आयकर विभाग के लिए सुदृढ़ तंत्र की स्थापना करना आवश्यक है।

5.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विभाग इसके नि.अ. के माध्यम से संवीक्षा निर्धारणों हेतु चयनित मामलों के कृषि आय के संबंध में दावा की गई छूटों की यथार्थता तथा सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेगा।

5.5 लेखापरीक्षा कवरेज

इस लेखापरीक्षा में उन निर्धारितियों के नमूनों के संवीक्षा निर्धारण शामिल किए गए थे जिन्होंने वि.व. 2014-15 से वि.व. 2016-17 के दौरान समाप्त कृषि आय पर छूट का दावा किया था। लेखापरीक्षा में कवरेज अधिनियम की धारा 2(1क) में कृषि आय की परिभाषा के साथ पठित धारा 10(1) के तहत दावा की गई छूटों तक सीमित थी।

5.6 नमूना आकार

आयकर विभाग ने ₹ 5 लाख से अधिक के कृषि आय-दावों पर निर्धारण संवीक्षा के आधार पर नि.अ.-अनुसार (निर्धारण इकाई) समस्त डाटा प्रस्तुत किया जो वि.व. 2014-15 और वि.व. 2016-17 के बीच संसाधित किये गए थे। 22,195

मामलों का संवितरण जिसके संबंध में डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा प्रस्तुत किया गया समस्त डाटा निम्न प्रकार है:

राज्य/क्षेत्र	₹ 5 लाख से अधिक के कृषि आय दावों को शामिल करते हुए निर्धारणों की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	1,470
बिहार	145
छत्तीसगढ़	207
दिल्ली	719
गुजरात	3,196
झारखंड	44
कर्नाटक	2,886
केरल	1,418
मध्य प्रदेश	683
महाराष्ट्र	4,077
पूर्वोत्तर क्षेत्र	174
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ⁹²	2,405
ओडिशा	97
राजस्थान	680
तमिलनाडु	2,892
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	666
पश्चिम बंगाल	436
कुल	22,195

लेखापरीक्षा ने डीजीआईटी (प्रणाली)⁹³ के आधार पर दावेदारों की अपेक्षाकृत अधिक संख्या के साथ (प्रत्येक कमिश्नरी हेतु निर्धारण ईकार्डों में दावेदारों की संख्या को संग्रहित किया जा रहा है) 136 कमिश्नरियों का चयन किया। आयकर महानिदेशक (प्रणाली), नई दिल्ली द्वारा निर्धारितियों की सूची प्रस्तुत की जिनके द्वारा ₹ 5 लाख और अधिक की कृषि आय हेतु धारा 10(1) के तहत छूट का दावा किया गया था और जिनके संवीक्षा निर्धारण चयनित आयुक्तालय हेतु वि.व. 2014-15 से वि.व. 2016-17 के दौरान पूर्ण किये गए थे। तदनुसार, 136 आयुक्तालय से 835 इकार्डों⁹⁴ के 7,082 मामले लेखापरीक्षा में थे।

5.7 अभिलेखों का उपलब्ध न कराया जाना

7,082 अधिगृहित मामलों में से 6,778 मामलों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया था। अप्रस्तुत अभिलेख में अधिगृहित अभिलेखों का 4.3 प्रतिशत

⁹² उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

⁹³ आयकर महानिदेशक (प्रणाली) नई दिल्ली

⁹⁴ 266 सर्कल और 569 वार्ड

शामिल था। अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण चयनित नमूनों की पूर्ण कवरेज में बाधा था।

5.8 अध्ययन परिणाम

लेखापरीक्षा के दौरान समीक्षा किए गए मामलों के संबंध में निर्धारितियों की उनकी विवरणियों के अनुसार उनकी प्रवृत्ति सहित मूल सूचना, जैसे रिटर्न आय, निर्धारित आय, दावे के अनुसार एवं अनुमत कृषि आय, भी एकत्र की गई थी। एकत्रित सूचना के विश्लेषण पर नीचे चर्चा की गई है।

5.8.1 कृषि आय का वितरण

कृषि आय के वितरण का दो की पैमानों पर अध्ययन किया गया था, दावे के अनुसार कृषि आय और अनुमति की गई कृषि आय। उक्त का राज्यों में इसके वितरण हेतु अध्ययन किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए 6,778 मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	जांच किए गए मामलों की संख्या
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	506
बिहार	122
चंडीगढ़	129
छत्तीसगढ़	170
दिल्ली	462
गुजरात	425
हरियाणा	592
हिमाचल प्रदेश	223
जम्मू और कश्मीर	42
झारखंड	46
कर्नाटक	502
केरल	503
मध्य प्रदेश	418
महाराष्ट्र	484
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	171
ओडिशा	102
पंजाब	383
राजस्थान	200
तमिलनाडु	565
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	337
पश्चिम बंगाल	396
कुल	6,778


लेखापरीक्षित मामलों के संबंध में दावा की गई एवं अनुमति दी गई कृषि आय सहित रिटर्न आय और निर्धारित आय के वितरण निम्नानुसार है:

राज्य	रिटर्न आय	निर्धारित आय	दावा की गई कृषि आय	अनुमत कृषि आय
(₹ करोड़ में)				
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	340.67	402.80	164.95	145.76
बिहार	43.71	58.36	42.91	23.84
चंडीगढ़	29.46	42.97	23.04	22.93
छत्तीसगढ़	59.47	129.25	54.73	53.39
दिल्ली	642.62	1139.43	548.70	205.12
गुजरात	145.14	509.65	131.14	86.13
हरियाणा	157.83	232.12	144.49	143.78
हिमाचल प्रदेश	24.66	53.39	61.41	48.82
जम्मू और कश्मीर	4.16	10.39	9.71	9.71
झारखंड	47.42	76.96	9.72	9.44
कर्नाटक	115.36	138.07	141.32	134.37
केरल	180.04	233.12	271.91	264.32
मध्य प्रदेश	198.97	443.24	232.50	220.46
महाराष्ट्र	560.21	723.76	307.94	233.11
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	32.70	70.84	71.90	62.02
ओडिशा	34.64	59.38	24.79	17.03
पंजाब	67.82	716.20	571.63	116.79
राजस्थान	106.93	185.85	43.04	38.02
तमिलनाडु	734.15	876.78	224.15	217.13
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	141.18	342.99	80.10	59.14
पश्चिम बंगाल	80.22	518.45	496.17	432.89
कुल योग	3747.36	6964.00	3656.25	2544.20

5.8.2 लेखापरीक्षित मामलों के संबंध में एओ द्वारा दावा की गई और अनुमति दी गई कृषि आय के पैर श्रेणी-वार वितरण निम्नानुसार है:

निर्धारितियों के प्रकार	निर्धारितियों की संख्या	दावा की गई कृषि आय	अनुमत कृषि आय (₹ करोड़ में)
एओपी	13	4.32	4.32
बीओआई	1	0.15	0.15
कंपनी	729	2,093.82	1,161.47
फर्म	160	69.18	68.24
एचयूएफ	365	111.73	99.50
अवास्तविक न्यायिक व्यक्ति	1	14.63	14.63
स्थानीय अधिकारी	1	0.15	0.15
व्यक्ति	5,410	1,349.39	1,185.82
ट्रस्ट	10	6.55	3.63
गैर पैर मामले ⁹⁵	88	6.33	6.30
कुल योग	6,778	3,656.25	2,544.21

लेखापरीक्षित मामलों के संबंध में एओ द्वारा दावा एवं अनुमति दी गई कृषि आय का विवरण चार्ट 5.1 में दर्शाया गया था।



⁹⁵ हरियाण-52, हिमाचल प्रदेश-1, मध्य प्रदेश-1, पंजाब-33, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड-1 में निर्धारण अभिलेखों में पैर के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।

5.9 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.9.1 कृषि आय से संबंधित दावों की जांच

एओज़ को स्वयं को संतुष्ट करना अपेक्षित था कि निर्धारिती अधिनियम की धारा 2(1क) के साथ पठित धारा 10(1) के अंतर्गत दावा की गई छूट की अनुमति के पात्र थे। धारा 2(1क)(ख) प्रावधान करती है कि कृषि आय में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि उत्पाद के संसाधन सहित कृषि प्रचालनों, उसी प्रकार से किराए के रूप में उठाए गए या प्राप्त या कृषक द्वारा सामान्यतः विनियोजित किसी प्रक्रिया या किराए के प्रापक, ताकि इसे बाजार के लिए या ऐसे उत्पाद की बिक्री के लिए उपयुक्त बनाया जा सके, द्वारा भारत में भूमि से प्राप्त कोई आय शामिल है। इस प्रवृत्ति की कृषि आय की गणना व्यापक रूप से इस प्रकार की जाएगी जैसाकि यह “कारोबार या व्यवसाय की लाभ एवं हानि” शीर्ष की अंतर्गत कर पर प्रभाय थी। दावा की गई इस छूट को निर्धारितियों द्वारा फाइल की गई आईटीआर और अनुसूची ईआई के अंतर्गत दर्शाया गया है।

विस्तृत संवीक्षा से डील करने वाले इस अधिनियम की धारा 143(3) परिकल्पना करती है कि निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और ऐसे अन्य साक्ष्य जिनकी एओ को आवश्यकता हो, को सुनने के बाद और उसके द्वारा एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद एओ निर्धारिती की कुल आय का लिखित आदेश में निर्धारण करेगा तथा ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय राशि या उसको देय किसी राशि के प्रतिदाय को निर्धारित करेगा। इस प्रकार, एओज़ को ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती की आय निर्धारित करने और उसके द्वारा देय/उसको प्रतिदाय कर निर्धारित करने के लिए कानून द्वारा अधिदेश दिया गया है। विवरणी के साथ संलग्न लेखों, अभिलेखों तथा दस्तावेजों के साथ विभिन्न प्रकार के दावों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत जांच करना आवश्यक है। निर्धारिती की निवल कृषि आय की गणना के उद्देश्य हेतु एओ को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जैसाकि कुल आय के निर्धारण उद्देश्य हेतु आय कर अधिनियम के तहत उसे प्राप्त है।

इसके अलावा, कार्यालय की कार्यप्रणाली नियमपुस्तक⁹⁶ के अनुसार, धारा 143(2) के अंतर्गत या धारा 142(1) या धारा 131 के अंतर्गत निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान नोटिस जारी करके सुनवाई हेतु प्रेषित मामले के कार्यवृत्त आदेश पत्र में तारीख सहित दर्ज किए जाने चाहिए। प्रविष्ट में अन्य बातों के

⁹⁶ कार्यालय कार्यप्रणाली नियमपुस्तक, संस्करण II (तकनीकी), फरवरी 2003, पैरा 3.4.5, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीबीडीटी

साथ-साथ निर्धारिती की तरफ से सुनवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम एवं उनका व्यवसाय, प्रस्तुत दस्तावेजों (जांच किए गए और रिटर्न किए गए तथा फाइल किए गए दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए), मांगे गए दस्तावेजों, चर्चा एवं पुनः प्रेषित मामलों, यदि कोई है⁹⁷, को शामिल किया जाना चाहिए। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों (वापस किए जाने वाले दस्तावेजों को छोड़ कर) को अवश्य ही एमआर⁹⁸ में दर्ज किया जाना चाहिए। इस प्रकार कानून में यथा निर्धारित विस्तृत संवीक्षा में न केवल अभिलेखों की विस्तृत जांच शामिल है अपितु निर्धारण आदेश हेतु संवीक्षा किए गए दस्तावेजों आदि के उचित अभिलेख का रख-रखाव भी शामिल है।

लेखापरीक्षा ने देखा भी कृषि आय छूट दावों की संवीक्षा हेतु सीबीडीटी द्वारा कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हैं। सीआईटी बनाम आर वेंकटस्वामी नायडु⁹⁹ मामले में शीर्ष न्यायालय ने निर्णय लिया है कि यह दायित्व निर्धारिती की है जिसने इसके लिए छूट का दावा किया है। कर योग्य आय और देय कर निर्धारित करते समय एओ को कृषि आय के आधार पर दावा की गई छूट के लिए भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर बल देना चाहिए। दावे की सत्यता प्रमाणित करने हेतु प्रणाली अपनाने में विफलता के परिणामस्वरूप अधिक छूट की अनुमति और कर योग्य आय का अवनिर्धारण हुआ।

5.9.2 समर्थक दस्तोवजों की जांच के बिना छूट

चयनित मामलों में संवीक्षा निर्धारणों की समीक्षा ने दर्शाया कि जैसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है 6,778 संवीक्षा निर्धारणों में से 1527 (22.5 प्रतिशत) में कृषि आय के आधार पर छूट के दावों की अनुमति समर्थक दस्तावेजों जैसे भूमि अभिलेख, आय एवं व्यक्त विवरण, फसल सूचना, कृषि आय और व्यय के प्रमाण जैसे खाता बही, बिल, बीजक आदि की जांच किए बिना दी गई थी या निर्धारिती द्वारा दावा की गई कृषि आय के समर्थन में दावे की सत्यता प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था जैसे नीचे तालिका बद्ध किया गया है (तालिका 5.1)।

⁹⁷ एओ, निर्धारिती और/या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

⁹⁸ एमआर - विविध अभिलेख

⁹⁹ (1956) 29 आईटीआर 529 (एससी)

तालिका 5.1: कृषि आय दावे का दस्तावेजीकरण एवं जांच				
राज्य/क्षेत्र	लेखापरीक्षा में जांच किए गए मामलों की कुल संख्या	मामलों की संख्या जहां एओ द्वारा किया गया दस्तावेजीकरण एवं जांच अपर्याप्त थी	कॉलम 3 में से मामलों की संख्या जहां भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं थे	कॉलम 3 में से मामलों की संख्या जहां कृषि आय और व्यय के प्रमाण जैसे खाता बही, बिल, बीजक आदि के अभिलेख संलग्न नहीं थे
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4	कॉलम 5
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	506	164	0	164
बिहार	122	14	7	7
छत्तीसगढ़	170	28	28	28
दिल्ली	462	52	28	36
गुजरात	425	44	40	39
झारखंड	46	13	13	13
कर्नाटक	502	229	104	157
केरल	503	57	43	40
मध्य प्रदेश	418	47	47	45
महाराष्ट्र	484	303	97	281
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र	1,369	126	49	66
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	171	8	2	6
ओडिशा	102	35	23	30
राजस्थान	200	56	39	50
तमिलनाडु	565	286	152	264
पश्चिम बंगाल	396	26	13	5
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	337	39	31	39
कुल	6,778	1,527	716	1,270

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

यह देखा गया कि 1527 मामलों में एओ द्वारा प्रलेखन एवं जांच अपर्याप्त थी, 716 मामलों (10.6 प्रतिशत) में भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं थे और 1270 मामलों (18.7 प्रतिशत) में कृषि आय और व्यय के प्रमाण जैसे खाता बही, बिल, बीजक आदि उपलब्ध नहीं थे। अतः यह स्पष्ट नहीं था कि एओ यह कैसे सुनिश्चित कर रहे थे कि छूट केवल योग्य निर्धारितियों को दी गई थी और यह कि निर्धारितियों के दावे प्रमाणिक है।

लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहां कृषि आय के आधार पर छूट की अनुमति कृषि आय अर्जित करने पर किए गए व्यय का लेखा/जाँच किए बिना दी गई

थी, जो ग्राम प्रशासन/प्रशासन अधिकारी के प्रमाण पत्र, मंडी समीति के प्रमाण-पत्र आदि जैसे दस्तावेजों, जिन से संबंधित सीबीडीटी अनुदेशों के बिना इन पर विश्वास करना विवाद का विषय है, के आधार पर कृषि आय के रूप में वित्तीय प्रणाली में बेहिसाबी आय/काले धन को लाने का संभावित अबाधित मार्ग भी हो सकता है। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहां कृषि भूमि से प्राप्त किराए या राजस्व को अभिलेखों की उचित जांच के बिना छूट की अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले भी देखे जिनमें विभिन्न निर्धारण वर्षों के संबंध में तर्कहीन ढंग से छूट की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, निर्धारिती का कृषि भूमि के स्वामित्व/अधिकार, कृषि की लागत, निर्धारिती की रोकड़ पुस्तक और/या बैंक विवरण, निर्धारिती द्वारा दावा न की गई प्राप्तियों एवं व्यय के ब्यौरों की जांच के बिना कृषि आय हेतु छूट की अनुमति दी गई थी। अधिनियम की धारा 143(3) और कार्यालय कार्यप्रणाली की नियमपुस्तक, संस्करण II के पैरा 3.4.5 में परिकल्पित प्रावधान के बावजूद न तो निर्धारण आदेश और न ही आदेश पत्र में यह दर्शाया गया कि उपरोक्त संदर्भित ऐसे दस्तावेजों/डाटा या अन्य दस्तावेजों पर पर्याप्त विश्वास किया गया था जो प्रत्येक मामले में एओ द्वारा प्राप्त संतुष्टि के बारे में आश्वासन प्रदान कर सकता था। ऐसी विसंगतियों सहित छूट की अनुमति दिए गए बारह मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

**(क) प्रभार: प्र. सीआईटी, कोट्टायम; नि.व. 2012-13;
अनुमत कृषि आय: ₹ 39 लाख**

एओ ने 15 एकड़ में कॉफी और 20 एकड़ में काली मिर्च सहित 60 एकड़ भूमि में उगाई गई रबड़, ईलाइची, कॉफी, काली मिर्च से अर्जित कृषि आय के प्रति नि.व. 2012-13 के लिए निर्धारिती को ₹ 39 लाख की छूट दी थी (फरवरी 2015)। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के लिए आय विवरण के अनुसार निर्धारिती के पास 60 एकड़ भूमि थी जिसके प्रति निर्धारिती ने कृषि आय का दावा किया था। तथापि, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत संपत्ति ब्यौरों के अनुसार निर्धारिती के पास कॉफी हेतु केवल 8.88 एकड़ और काली मिर्च हेतु 9.17 एकड़ भूमि थी जिसका छूट अनुमति से पूर्व मिलान किया जाना था। संवीक्षा निर्धारण आदेश में संपत्ति ब्यौरों में विसंगति या आय विवरण के अनुसार ब्यौरों पर विचार हेतु स्पष्टीकरण का उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसे ब्यौरों के अभाव में, लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की सटीकता की पुष्टि नहीं कर सका। आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि यह इस मामले की जांच-पड़ताल करेगा (मार्च 2018)।

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, मदुरई, तमिलनाडु; नि.व. 2012-13;
अनुमत कृषि आय: ₹ 68.16 लाख;

निर्धारिती ने नारियल, सहजन, मिर्च, मक्का और कनवल्ली के बीज से अर्जित कृषि आय के प्रति नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 68.16 लाख की छूट का दावा किया और उसे छूट अनुमति दी गई (मार्च 2015)। संवीक्षा निर्धारण आदेश के अनुसार कृषि आय की खाता बहियों का सत्यापन एवं जांच की गई थी। ब्यौरे मांगे गए और इन पर चर्चा की गई तथा निर्धारिती द्वारा रिटर्न कृषि आय स्वीकार कर ली गई। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि निर्धारिती ने कनवल्ली के बीजों की खेती से 85 प्रतिशत से अधिक आय प्राप्त की थी, फिर भी ब्यौरे जैसे कुल भूमि क्षेत्र जिस पर कनवल्ली के बीजों का उत्पादन हुआ था, प्राप्त प्रति एकड़ आदि, अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा अदंगल लेखा, पट्टा आदि जैसे दस्तावेज/सूचना भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। चूँकि जांच किए गए अभिलेखों के ब्यौरों का निर्धारण आदेश में उल्लेख नहीं था यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या कनवल्ली के बीजों की बिक्री से प्राप्त कृषि आय का एओ द्वारा सत्यापन किया गया था। ऐसे ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की सटीकता की पुष्टि नहीं कर सका। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2018)।

(ग) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, मदुरई, तमिलनाडु;
नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15
अनुमत कृषि आय: ₹ 25.38 लाख; ₹ 25.38 लाख; ₹ 25.48 लाख;

निर्धारिती ने समर्थक दस्तावेजों जैसे बिक्री बीजकों, कृषि व्ययों, भूमि उपयोग हेतु भूमि स्वामित्व/अधिकार और उगाई गई फसलों, कृषि क्षेत्र जैसे डाटा प्राप्त एवं इन्हे सत्यापित किए बिना कृषि आय के प्रति नि.व. 2012-13, 2013-14, 2014-15 के लिए क्रमशः ₹ 25.38 लाख, ₹ 25.38 लाख और ₹ 25.48 लाख की छूट का दावा किया और उसे इसकी अनुमति दी गई (मार्च 2015, मार्च 2016 और दिसम्बर 2016)। नि.व. 2012-13 और 2013-14 के संवीक्षा निर्धारण आदेश के अनुसार कृषि कार्यकलापों और भूमि धारण के ब्यौरों का सत्यापन एवं जांच की गई थी तथा कृषि आय दावों को रिटर्न्ड के रूप में स्वीकार किया गया था। हालांकि, दस्तावेज ब्यौरे अर्थात् भूमि दस्तावेज, अदंगल, पट्टा, बिक्री, बीजक आदि को दोनों वर्षों के निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाया गया था। इसके अलावा, नि.व. 2014-15 के संवीक्षा निर्धारण आदेश में एओ ने उल्लेख किया कि ब्यौरे मांगे गए थे तथा इनकी जांच की गई थी हालांकि, दस्तावेजी साक्ष्य निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाए गए थे। ऐसे ब्यौरों के अभाव

में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की परिशुद्धता की पुष्टि नहीं कर सका। आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि यह मामले की जांच पड़ताल करेगा (मई 2018)।

(घ) प्रभार: प्र. सीआईटी-4, कोलकाता, पश्चिम बंगाल; नि.व. 2012-13

अनुमत कृषि आय: ₹ 1.90 करोड़;

एओ ने कृषि आय और व्यय के विवरण के अलावा निर्धारिती से कोई अभिलेख प्राप्त किए बिना और कृषि आय की परिशुद्धता और यथार्थता का सत्यापन किए बिना कृषि आय के प्रति ₹ 1.90 करोड़ की छूट की अनुमति दी थी (मार्च 2015)। हालांकि, धारा 142(1) के अंतर्गत जारी नोटिस (नवम्बर 2014) के माध्यम से स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य सहित निर्धारिती द्वारा दावा की गई विभिन्न कटौतियों और छूटों के ब्यौरे मांगे गए थे फिर भी संवीक्षा निर्धारण आदेश में कृषि आय के आधार पर अनुमत दावे का कोई संदर्भ नहीं था। इसके अलावा, निर्धारिती को आईटीएनएस-150 में अनुमत दावे की पुष्टि करने हेतु अभिलेखों में कोई समर्थक दस्तावेज नहीं था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे पता चला कि निर्धारिती के नि.व. 2013-14 के लिए ₹ 2.19 करोड़ (मार्च 2016) और नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 7.20 करोड़ (दिसम्बर 2016) की छूट के दावे को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि निर्धारिती कृषि भूमि के धारण के लिए साक्ष्य, कृषि उत्पाद की बिक्री और कृषि व्ययों के ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहा। नि.व. 2012-13 के लिए ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की परिशुद्धता की पुष्टि नहीं कर सका।

(ङ) प्रभार: प्र. सीआईटी, मुज्जफरपुर, बिहार; नि.व. 2014-15

अनुमत कृषि आय: ₹ 1.60 करोड़;

एओ ने कृषि आय के आधार पर निर्धारिती द्वारा किए गए दावे को स्वीकारते हुए कृषि आय के प्रति ₹ 1.60 करोड़ की छूट की अनुमति (अगस्त 2016) दी थी। निर्धारण आदेश में टिप्पणियों के अनुसार, “नि.व. 2014-15 से संबंधित वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान निर्धारिती को कृषि आय की बड़ी राशि प्राप्त हुई थी। कृषि आय की प्रमाणिकता की निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान जांच नहीं की गई थी क्योंकि पिछले वर्ष में नि.व. 2006-07 से 2011-12 के निर्धारिती के मामले को कृषि आय की प्रमाणिकता और यह विश्वास करने के कारण, कि कर पर प्रभार्य आय निर्धारण से बच गई थी, की जांच करने के लिए धारा 147 के तहत दुबारा खोला गया था। विभिन्न वर्षों के लिए धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण उपयुक्त जांच के पश्चात पूरा हुआ था और निर्धारिती की कृषि आय को स्वीकार कर लिया गया था।” एओ ने निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती के

पास पिछले वर्षों के संशोधित निर्धारण के आधार पर ऐसी बड़ी कृषि आय निकालने के लिए प्रमाणयोग्य स्रोत था। उसी रूप में नि.व. 2014-15 के लिए छूट की अनुमति ब्यौरे, जैसे भूमि उपयोग, कृषि उत्पाद के संव्यवहार ब्यौरो, बीजों, उर्वरकों की खरीद, कृषि कार्यकलापों में उपयोग किए गए श्रमबल/मशीनरी, प्राप्त एवं इनकी जांच किए बिना दी गई थी। नि.व. 2014-15 के संबंध में ऐसे ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की परिशुद्धता की पुष्टि नहीं कर सका।

(च) प्रभार: प्र. सीआईटी, कटक, ओडिशा; नि.व. 2008-09

अनुमत कृषि आय: ₹ 1.47 करोड़;

आईटीओ, कुल्लु वार्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारिती के मामले को दुबारा खोला गया (मार्च 2016) कि नि.व. 2008-09 से संबंधित पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती ने कोई कृषि संबंधी कार्यकलाप नहीं किए थे। पुनः निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान निर्धारिती ने दावा किया कि उसने कुल्लु जिला में पट्टे पर छः एकड़ भूमि अधिगृहित की थी जहां सेब उगाए थे तथा सोलन जिला में अन्य 32 एकड़ जहां टमाटर, प्याज, आलू और शिमला मिर्च उगाए गए थे। निर्धारिती ने आगे बताया कि उसने कृषि उत्पाद तथा बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों आदि की खरीद पर किए गए व्यय के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए थे। तथापि, एओ ने निम्नलिखित कारण (क) निर्धारिती ने एचपी कृषि बोर्ड, शिमला की मंडी रसीद के अलावा कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं दिया था (ख) नि.व. 2009-10 की निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान ₹ 5 लाख की तदर्थ अननुमति की पुष्टि करते समय सीआईटी (अपील) ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि निर्धारिती ने सेब जैसे कृषि उत्पादों की बिक्री के संबंध में मंडी समिति द्वारा जारी प्रमाण-पत्र सहित पट्टा करार की प्रतियां प्रस्तुत की थी, बताते हुए जाली आय के रूप में ₹ 16 लाख की सीमा तक कृषि आय के हिस्से की अननुमति के पश्चात कृषि आय के प्रति नि.व. 2008-09 के लिए ₹ 163.10 लाख के निर्धारिती के दावे के प्रति ₹ 147.10 लाख की छूट अनुमत की थी।

निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारिती ने पिछले नि.व. अर्थात् नि.व. 2007-08 के लिए मंडी रसीद प्रस्तुत की थी। इससे पता चला कि निर्धारिती ने नि.व. 2007-08 के दौरान किसी कृषि आय का दावा नहीं किया था और नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 40 लाख की कृषि आय के समस्त दावे को धारा 143(3) के तहत निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान अनुमति नहीं दी गई थी। तत्पश्चात, सीआईटी (अपील) ने नि.व. 2009-10 की कृषि आय से केवल ₹ 5 लाख की अनुमति नहीं दी थी। इसके अलावा, नि.व. 2010-11 से 2014-15

की कृषि आय (क्रमशः ₹ 37.05 लाख, ₹ 76.77 लाख, ₹ 57.26 लाख, ₹ 36.96 लाख तथा ₹ 40.26 लाख) के लिए निर्धारिती के छूट के दावे को अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि निर्धारिती उसके दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। नि.व. 2008-09 के ऐसे ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की परिशुद्धता की पुष्टि नहीं कर सका था।

**(छ) प्रभार: प्र. सीआईटी, कोझीकोड, केरल; नि.व. 2012-13 से 2015-16;
अनुमत कृषि आय: ₹ 23.50 लाख; ₹ 22.03 लाख; ₹ 22.51 लाख
और ₹ 23.01 लाख**

निर्धारिती ने नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए मूल विवरणियों में क्रमशः ₹ 0.48 लाख, ₹ 4.03 लाख और ₹ 15.51 लाख के पिछले दावे के प्रति धारा 133ए के अंतर्गत सर्वेक्षण करने के बाद धारा 148 के तहत जारी नोटिस के प्रति दर्ज की गई विवरणी में कृषि आय के आधार पर ₹ 23.50 लाख, ₹ 22.03 लाख और ₹ 22.51 लाख की छूट का संशोधित दावा प्रस्तुत किया था। इस प्रकार, सर्वेक्षण के दौरान अतिरिक्त आय का प्रस्ताव रखा गया था जिस पर विवरणी की फाइलिंग के समय पर निर्धारिती द्वारा विचार नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती द्वारा दावा किए गए सभी चार निर्धारण वर्षों में छूट की अनुमति (दिसम्बर 2015 - 3 नि.व. और दिसम्बर 2016) दी गई थी जिसके लिए निर्धारण अभिलेखों में कोई दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं थे। ऐसे ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की परिशुद्धता की पुष्टि नहीं कर सका था। आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि यह मामले की जांच करेगा (अप्रैल 2018)।

**(ज) प्रभार: प्र. सीआईटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना;
नि.व. 2014-15; अनुमत कृषि आय: ₹ 32.46 लाख**

निर्धारिती ने भूमि अभिलेखों की प्रति तथा क्षेत्राधिकारी तहसीलदार द्वारा सादे कागज पर जारी इस प्रमाण-पत्र, कि निर्धारिती के पास भूमि का स्वामित्व था और वह केले के बागानों की खेती करता था जो प्रति एकड़ ₹ 1.25 लाख से ₹ 1.50 लाख के बीच वार्षिक आय देगी, के आधार पर केले के बागानों की खेती से अर्जित कृषि आय के प्रति ₹ 32.46 लाख की छूट का दावा किया था और उसे इसकी अनुमति दी गई थी (दिसम्बर 2016)। कृषि आय की जांच हेतु सीमित संवीक्षा हेतु निर्धारिती के मामले को लेने के बावजूद कृषि आय का विवरण भी उपलब्ध नहीं पाया गया जिससे पता चलता कि ₹ 32.46 लाख की निवल कृषि आय पर कैसे पहुँचा गया था। निर्धारण आदेश में की गई टिप्पणियों

के अनुसार निर्धारिती मूल रूप से कृषक था और केले उगा रहा था। निर्धारिती ने कृषि आय के समर्थन में पट्टादार पास बुक प्रस्तुत की थी। सभी सूचनाओं को अभिलिखित कर लिया गया था। तथापि, दावा की गई कृषि आय के समर्थन में विस्तृत दस्तावेजीकरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। ऐसे ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की सटीकता की पुष्टि नहीं कर सका था। आयकर विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2018) कि दस्तावेज प्राप्त करने के लिए भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

(झ) प्रभार: प्र. सीआईटी-6, बेंगलुरु, कर्नाटक; नि.व. 2013-14;

अनुमत कृषि आय: ₹ 85.60 लाख

एओ ने कृषि उत्पाद की बिक्री प्राप्तियों में से निर्धारिती द्वारा बैंक में कराए गए नकद जमा की जांच किए बिना कृषि आय के प्रति ₹ 85.60 लाख की छूट की अनुमति दी थी (मार्च 2016)। निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान नकद प्रवाह विवरण में कृषि आय (अर्थात्) ₹ 95.05 लाख और आय गणना के विवरण (अर्थात्) ₹ 85.60 लाख में निर्धारिती के कृषि आय के दावे के बीच के अंतर की ₹ 9.45 लाख की राशि को अस्पष्ट आय माना गया था। अधिनियम की धारा 143(2) के तहत जारी नोटिस (मार्च 2016) पर दिए गए उत्तर में निर्धारिती के प्रस्तुतिकरण (मार्च 2016) के अनुसार कृषि उत्पाद की बिक्री के आधार पर बैंक में किया गया नकद जमा ₹ 2.56 करोड़ था जो ₹ 85.60 लाख की घोषित कृषि आय से काफी अधिक था। तथापि, निर्धारिती के प्रस्तुतिकरण के अनुसार नकद जमा के ब्यौरों पर संवीक्षा निर्धारण आदेश में न तो विचार किया गया और न ही चर्चा की गई। निर्धारिती के प्रस्तुतिकरण कृषि आय और व्यय विवरण के अनुसार बैंक जमा की जांच करने में चूक के परिणामस्वरूप न केवल छूट की गलत अनुमति दी गई अपितु 'अन्य स्रोतों से आय' का अवनिर्धारण भी हुआ।

(ण) प्रभार: प्र. सीआईटी-6, बेंगलुरु, कर्नाटक; नि.व. 2014-15;

अनुमत कृषि आय: ₹ 63.43 लाख

इस मामले में वाउचरों/बीजकों के अप्रस्तुतिकरण के लिए आठ प्रतिशत कृषि आय की अननुमति के पश्चात ₹ 36.48 लाख पर आय और ₹ 63.43 लाख की कृषि आय के निर्धारण द्वारा संवीक्षा निर्धारण का निष्कर्ष निकाला गया था। यह देखा गया कि 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के दौरान गणना के अनुसार निर्धारिती को ₹ 68.95 लाख की कृषि आय प्राप्त हुई थी जबकि रोकड़ बही के अनुसार कृषि आय ₹ 4.50 लाख ही थी जिससे पता चला कि ₹ 64.45 लाख की अंतर राशि अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है। अन्य स्रोतों

से प्राप्त आय के रूप में इस पर कर लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 58.93 लाख (₹ 64.45 लाख - 143(3) आदेश में अननुमत ₹ 5.52 लाख) तक कम आय गणना हुई जिसका कर प्रभाव ₹ 24.22 लाख है।

(ट) प्रभार: प्र. सीआईटी, मैसूर, कर्नाटक; नि.व. 2014-15;

अनुमत कृषि आय: ₹ 9.99 लाख

निर्धारिती ने कृषि आय के प्रति ₹ 9.99 लाख की छूट का दावा किया और उसे इसकी अनुमति प्राप्त हुई (अगस्त 2016)। निर्धारिती के पूंजीगत लेखा से यह देखा गया कि उसे कृषि भूमि के हस्तांतरण पर ₹ 116.27 लाख मिले थे जबकि परिसंपत्ति सूची में किसी कृषि भूमि को बिका हुआ नहीं दर्शाया गया था उससे संकेत मिलता है कि अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय को कृषि आय माना गया तथा छूट की गलत अनुमति दी गई थी। आय को अन्य स्रोतों से प्राप्त आय माना गया और कर लगाया गया। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 35,92,786 के कर प्रभाव सहित आय की कम गणना हुई।

(ठ) प्रभार: प्र. सीआईटी, रायपुर, छत्तीसगढ़; नि.व. 2012-13;

अनुमत कृषि आय: ₹ 109.06 लाख

निर्धारिती ने कृषि भूमि के हस्तांतरण पर अर्जित लाभ के प्रति ₹ 109.06 लाख (बिक्री प्रतिफल ₹ 110.65 लाख घटा अधिग्रहण की लागत ₹ 1.59 लाख) की छूट का दावा किया और इसकी अनुमति दी गई (मार्च 2015)। निर्धारण अभिलेखों में धारा 2 (1ए) के अंतर्गत व्याख्या 1 में अनुबंधित शर्तों की पूर्णता के समर्थन में न तो दस्तावेज उपलब्ध थे और न ही निर्धारण आदेश में इस पर चर्चा की गई थी। ऐसे ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की परिशुद्धता की पुष्टि नहीं कर सका।

जबकि नमूना तौर पर 6,778 मामलों की नमूना जांच के आधार पर 1,527 मामलों (22.5 प्रतिशत) में अपर्याप्त जांच अथवा अधूरे प्रलेखन के आधार पर कृषि आय दावों की छूट का अनुमत करना बताया गया है, आयकर विभाग को सभी कमिशनरियों में आंतरिक रूप से उन सभी मामलों में जांच करने की आवश्यकता है जहां कृषि आय ₹ 10 लाख या अधिक जैसे एक निश्चित सीमा से ऊपर की हो, ताकि उपयुक्त दस्तावेजों की जांच के आधार पर केवल पात्र निर्धारितियों को छूट अनुमत की जा सकें।

5.9.2.1 दावा किये गये 1,527 मामलों के संबंध में और अनुमत कृषि आय के संवितरण का आगे विश्लेषण किया गया जहां राज्य वार, जांच अपर्याप्त थी/ प्रलेखन संतोषजनक नहीं था, जो निम्न प्रकार है:

राज्य/क्षेत्र	मामलों की संख्या जिनकी जांच अपर्याप्त थी	दावा की गई कृषि आय (₹ करोड़ में)	अनुमत कृषि आय (₹ करोड़ में)
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	164	18.09	17.85
बिहार	14	3.20	3.11
चंडीगढ़	1	0.20	0.20
छत्तीसगढ़	28	8.50	8.44
दिल्ली	52	39.10	39.11
गुजरात	44	7.73	7.66
हरियाणा	63	19.18	18.80
हिमाचल प्रदेश	18	10.05	7.15
जम्मू और कश्मीर	21	6.14	6.14
झारखंड	13	2.08	1.79
कर्नाटक	229	65.75	62.03
केरल	57	30.11	29.51
मध्य प्रदेश	47	7.49	7.43
महाराष्ट्र	303	194.44	156.01
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	8	1.87	1.87
ओडिशा	35	8.26	7.95
पंजाब	23	212.77	4.64
राजस्थान	56	11.29	11.28
तमिलनाडु	286	90.81	88.16
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	39	3.37	3.35
पश्चिम बंगाल	26	17.62	17.50
कुल योग	1,527	758.06	499.99

इसके अतिरिक्त, दावा किये गए 1,527 मामलों के संबंध में दावे के अनुसार निर्धारण अनुसार कृषि आय, निम्न प्रकार है:

निर्धारिती का प्रकार	दावाकृत कृषि आय (₹ करोड़ में)	अनुमत कृषि आय (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या
एओपी	1.44	1.44	4
कंपनी	434.28	194.24	142
फर्म	12.75	12.63	28
एचयूएफ	16.31	15.98	56
व्यक्ति	292.05	274.51	1,292
न्यास	0.73	0.73	1
गैर-पेन	0.50	0.47	4
कुल योग	758.06	499.99	1,527

आगे यह देखा गया कि 1527 मामलों में, से 1046 मामलों (68.5 प्रतिशत) में कृषि आय का दावा फार्म आईटीआर-4¹⁰⁰ में किया गया था जिसमें ₹ 222.91 करोड़ के दावे¹⁰¹ के प्रति कृषि आय के आधार पर ₹ 210.19 करोड़ की छूट अनुमति दी गई थी। आईटीआर-4 का सर्वाधिक उपयोग दर्शाता है कि कृषि आय का व्यापक रूप से दावा किया गया एवं इस पर अनुमति दी गई जहां कारबार तथा व्यवसाय से आनुमानिक आय शामिल है। आयकर विभाग को संवीक्षा के अंतर्गत चयनित मामलों में विशेष रूप से आईटीआर-4 के माध्यम से किए गए दावों की संपूर्ण जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।

5.9.3 आयकर विभाग के डाटाबेस में कृषि आय को गलत रूप से दर्शाना

लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहां निर्धारण आदेश में अनुमत छूटों की तुलना में आयकर विभाग डाटा में दर्शाई गई छूटों के बीच मेल नहीं था। संवीक्षा निर्धारणों के दौरान कृषि आय अनुमत छूट को आयकर विभाग के डाटाबेस में उचित रूप से नहीं दर्शाया गया था। आयकर विभाग में कृषि आय को निर्धारितियों द्वारा रिटर्न्ड के रूप में दर्शाया जाता रहा या उन मामलों में असंगत आकड़े दर्शाए गए जहां अनुमत कृषि आय निर्धारिती के दावे से भिन्न थी। नौ राज्यों में लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए 3,133 मामलों¹⁰² में से 48 मामलों [(बिहार (02), झारखंड (02), कर्नाटक (12), केरल (07), राजस्थान (01), पश्चिम बंगाल (06), तमिलनाडु (09), उत्तर प्रदेश (04), नई दिल्ली (05)] में त्रुटियां देखी गई थी जिसे निम्नलिखित तालिका 5.2 में दिया गया है:

तालिका 5.2 : आयकर विभाग डाटा बेस में कृषि आय गलत रूप से दर्शाया गया

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण यूनिट ब्यौरों के साथ पीसीआईटी यूनिट	नि.व.	रिटर्न्ड आय	निर्धारण के पश्चात कृषि आय	डाटाबेस में दर्शाई गई कृषि आय
1	बिहार	पीसीसीआईटी, पटना / आईटीओ वार्ड 2 (1) मुजफ्फरपुर	2012-13	14.49	0	14.49
2	बिहार	पीसीसीआईटी, पटना / एसीआईटी सर्कल -1 मुजफ्फरपुर	2014-15	22.03	6.14	22.03

¹⁰⁰ आईटीआर-4 कारोंबार एवं व्यवसाय से अनुमानित आय हेतु लागू आय विवरणी है।

¹⁰¹ आईटीआर-4 को सर्वाधिक कृषि आय के संबंध में छूट दावे हेतु विवरणी फाइल करने हेतु प्रयोग किया गया था क्योंकि नमूने 6780 मामलों (अनुमत कृषि आय- ₹ 2545.16 करोड़ और दावा की गई कृषि आय - ₹ 3657.30 करोड़) में से 3643 निर्धारितियों (अनुमत कृषि आय - ₹ 695.44 करोड़ तथा दावा की गई कृषि आय ₹ 787.01 करोड़) ने आईटीआर-4 फार्म में आय की उनकी विवरणी फाइल की थी।

¹⁰² बिहार-122, झारखंड-46, कर्नाटक-502, केरला-503, राजस्थान-200, पश्चिम बंगाल-396, तमिलनाडु-565, उत्तर प्रदेश-337, नई दिल्ली-462

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण यूनिट ब्यौरों के साथ पीसीआईटी यूनिट	नि.व.	रिटर्न्ड आय	निर्धारण के पश्चात कृषि आय	डाटाबेस में दर्शाई गई कृषि आय
3	झारखंड	पीसीसीआईटी - पटना, सर्कल- 1, रांची	2015-16	23.62	0	23.62
4	झारखंड	पीसीसीआईटी - पटना, आईटीओ वार्ड 3 (1), रांची	2015-16	48.2	0	20.9
5	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (3) (4)	2014-15	24.51	22.05	24.51
6	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-डीसीआईटी सर्कल 6 (3) (1)	2014-15	8.74	4.37	8.74
7	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (2) (1)	2013-14	9.7	6.7	9.7
8	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (2) (1)	2013-14	25.96	20.77	23.95
9	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (2) (1)	2014-15	21.74	19.24	21.74
10	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (2) (1)	2014-15	13	11	13
11	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (2) (1)	2014-15	8	6.4	8
12	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (2) (1)	2014-15	27.78	22.22	27.78
13	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (2) (1)	2014-15	20.16	18.14	20.16
14	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (2) (1)	2014-15	34.63	33.13	34.63

2019 की प्रतिवेदन संख्या 9 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण यूनिट ब्यौरों के साथ पीसीआईटी यूनिट	नि.व.	रिटर्न्ड आय	निर्धारण के पश्चात कृषि आय	डाटाबेस में दर्शाई गई कृषि आय
15	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6- डीसीआईटी सर्कल 6 (2) (1)	2014-15	159.4	144.4	159.4
16	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (3) (2)	2014-15	32.96	32.96	11.02
17	केरल	पीसीआईटी, कोझीकोड, आईटीओ वार्ड 2, कलपेट्टा	2014-15	450.60	435.60	450.60
18	केरल	पीसीआईटी, कोच्चि, एसीआईटी नॉन कॉर्प सर्कल 1 (1), कोच्चि	2014-15	21.35	16.00	21.35
19	केरल	पीसीआईटी, कोझीकोड, एसीआईटी, सर्कल 1 (1), कोझीकोड	2013-14	20.83	18.20	20.83
20	केरल	पीसीआईटी, कोझीकोड, एसीआईटी, सर्कल 1 (1), कोझीकोड	2012-13	25.91	20.91	25.91
21	केरल	पीसीआईटी, कोझीकोड, एसीआईटी, सर्कल 1 (1), कोझीकोड	2012-13	38.37	13.37	38.37
22	केरल	पीसीआईटी, कोझीकोड, एसीआईटी, सर्कल 1, कन्नूर	2012-13	21.80	11.80	21.80
23	केरल	पीसीआईटी, कोझीकोड, आईटीओ वार्ड 2, कलपेट्टा	2014-15	59.46	54.46	59.46
24	नई दिल्ली	नई दिल्ली, पीसीसीआईटी -7, वार्ड 61 (1)	2014-15	23	0	23
25	नई दिल्ली	नई दिल्ली, पीसीसीआईटी -4, वार्ड 33 (2)	2013-14	15.63	0	15.63
26	नई दिल्ली	नई दिल्ली, पीसीसीआईटी -7, वार्ड 61 (1)	2014-15	35.09	0	35.09
27	नई दिल्ली	नई दिल्ली, सर्कल 27 (1)	2014-15	20.65	0	20.65

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण यूनिट ब्यौरों के साथ पीसीआईटी यूनिट	नि.व.	रिटर्न्ड आय	निर्धारण के पश्चात कृषि आय	डाटाबेस में दर्शाई गई कृषि आय
28	नई दिल्ली	पीसीआईटी 14, दिल्ली, वार्ड 40 (3)	2013-14	78.39	78.39	0
29	राजस्थान	पीसीआईटी -1, जयपुर, आईटीओ वार्ड 3 (1), जयपुर	2009-10	5.88	4.54	0
30	तमिलनाडु	पीसीआईटी-3, कोयंबटूर, डीसीआईटी, एनसीसी-1, सीबीई	2013-14	36.05	0	36.05
31	तमिलनाडु	पीसीआईटी-3, कोयंबटूर, डीसीआईटी, एनसीसी -1, सीबीई	2013-14	7.92	4.88	7.92
32	तमिलनाडु	पीसीआईटी-3, कोयंबटूर, डीसीआईटी, एनसीसी -1, सीबीई	2013-14	43.8	27.27	43.8
33	तमिलनाडु	पीसीआईटी-1 त्रिची, सर्कल -1, त्रिची	2012-13	38.41	34.57	38.41
34	तमिलनाडु	पीसीआईटी -3, कोयंबटूर, वार्ड 2 (1), तिरुपुर	2014-15	44.33	43.06	44.33
35	तमिलनाडु	पीसीआईटी 1, त्रिची, सर्कल 1, त्रिची	2013-14	25	21.26	28.74
36	तमिलनाडु	पीसीआईटी / सीआईटी 1 मदुरै, वार्ड 1, डिंडीगुल	2013-14	21.2	19.21	21.2
37	तमिलनाडु	सीसीआईटी 1, त्रिची, सर्कल 2, त्रिची	2013-14	19.77	9.77	19.77
38	तमिलनाडु	पीसीआईटी-3, कोयंबटूर, सर्कल -1, तिरुपुर	2014-15	74.88	68.32	74.88
39	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी, अलीगढ़	2014-15	40.44	38.44	78.88
40	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी, अलीगढ़	2014-15	27.37	26.37	53.74
41	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी, अलीगढ़	2013-14	20.99	12.48	20.99
42	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी, लखनऊ	2014-15	5.32	3.99	5.32
43	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी -2, डीसीआईटी, सर्कल 4 (1), कोलकाता	2013-14	136.68	138.23	136.68

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण यूनिट ब्यौरों के साथ पीसीआईटी यूनिट	नि.व.	रिटर्न्ड आय	निर्धारण के पश्चात कृषि आय	डाटाबेस में दर्शाई गई कृषि आय
44	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी -2, डीसीआईटी, सर्कल 4 (1), कोलकाता	2012-13	132.65	143.65	132.65
45	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी -2, डीसीआईटी, सर्कल 4 (1), कोलकाता	2014-15	138.98	142.22	141.24
46	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी -2, डीसीआईटी, सर्कल 4 (1), कोलकाता	2013-14	166.89	163.89	166.89
47	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी -2, डीसीआईटी, सर्कल 4 (1), कोलकाता	2012-13	196.42	187.42	196.42
48	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी -2, डीसीआईटी, सर्कल 4 (1), कोलकाता	2014-15	55.76	55.76	57.99

लेखापरीक्षा ने देखा कि डाटाबेस में दर्शाई गई कृषि आय राशि को 48 मामलों में से 42 मामलों में एएसटी के माध्यम से ऑटो-पाप्युलेट किया गया था और छः मामलों¹⁰³ में हस्त्य रूप से किया गया था। निर्धारण के दौरान कृषि आय को आयकर विभाग के डाटाबेस में नहीं लिया गया था। उसी रूप में, कृषि आय की गलत रिपोर्टिंग और डाटाबेस को अद्यतित न करने के कारण एमआईएस उद्देश्यों हेतु निर्धारिती को अनुमत छूट का जोखिम हो जाता है।

यद्यपि आयकर विभाग ने निम्नलिखित पैरा 5.9.4 में चर्चानुसार डाटा प्रविष्टि की त्रुटियों से हुई विसंगतियों को समझ लिया है, फिर भी ऐसी त्रुटियां जारी रही।

5.9.4 विभाग द्वारा जांच की स्थिति

माननीय पटना उच्च न्यायालय में फाइल किए गए जनहित वाद (पीआईएल), जिसमें मुद्दे उठाए गए थे कि कुछ निर्धारिती न केवल अपने बेहिसाबी/अवैध धन की कृषि आय के रूप में रूटिंग में लिप्त हो सकते हैं अपितु धन शोधन कार्यकलापों में भी लिप्त हो सकते हैं, के आधार पर आय कर विभाग ने उन मामलों की विवरणियों की जांच की कार्यवाही शुरू की थी जहां निर्धारितियों की ₹ 1 करोड़ से अधिक की विवरणी आय कृषि से संबंधित है। माननीय पटना

¹⁰³ पश्चिम बंगाल

उच्च न्यायालय को तथ्यात्मक साख्यिकी प्रस्तुत करने के लिए आयकर निदेशालय (प्रणाली) ने सभी पीसीसीआईटी/सीसीआईटी (सीसीए) को पहलुओं, जैसा कि क्या करदाताओं से विवरणी फाइल करते समय डाटा प्रविष्टि में त्रुटि हुई थी, की जांच के पश्चात डीजीआईटी को स्थिति रिपोर्ट भेजने का अनुदेश दिया था। उन मामलों में जहां संवीक्षा निर्धारण पूरा हो गया है, वह एओ को निर्धारण अभिलेखों के आधार पर प्रतिपुष्टि उपलब्ध करानी थी। जहां धारा 143(3) के अंतर्गत कार्यवाहियां लंबित थी वहां एओ को दावे की अच्छी तरह से जांच करनी थी डीजीआईटी (प्रणाली) ने निर्धारण वर्षों 2007-08 से 2014-15 की आयकर विवरणियों में ₹ 1 करोड़ से अधिक की कृषि आय दर्शाने वाले 2746 मामलों को चिन्हित किया और एओज को ऐसी आयकर विवरणियों में कृषि आय पर छूट के दावे की जांच करने के लिए निर्देश¹⁰⁴ दिया तथा ऐसे मामलों की स्थिति रिपोर्ट मांगी।

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 136 पीसीआईटी डीजीआईटी को (प्रणाली) प्रस्तुत की गई की गई स्थिति रिपोर्ट मांगी गई थी, दस राज्यों में से केवल 26 पीसीआईटी ने लेखापरीक्षा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। बिहार एवं झारखंड, गुजरात, राजस्थान, केवल, पूर्वोत्तर क्षेत्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में 327 मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई स्थिति रिपोर्ट, जैसे डीजीआईटी (प्रणाली) को भेजी गई थी, के अनुसार मामलों में निर्धारिती द्वारा फाइल की गई आईटीआर और एएसटी प्रणाली 36 में दर्ज राशि के अनुसार कृषि आय की राशि में अंतर डाटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण था जिसके ब्यौरे निम्नलिखित तालिका 5.3 में दिए गए हैं। क्षेत्रीय जांच के अनुसार (2019 जनवरी) 36 मामलों में से 12¹⁰⁵ मामलों में डाटा प्रविष्टि त्रुटि को सही करना शेष था। लेखापरीक्षा ने देखा कि आंध्र प्रदेश एवं तेलगाना, कर्नाटक एवं गोवा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नई दिल्ली पूर्वोत्तर क्षेत्र और ओडिशा में चयनित पीसीआईटी द्वारा स्थिति रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की (2018 नवम्बर) जानी है।

¹⁰⁴ एफ सं. डीजीआईटी (एस)/डीआईटी (एस)-3/एएसटी/पीआईएल/2015-16 दिनांक 10 मार्च 2016 द्वारा जारी अनुदेश

¹⁰⁵ यूपी एंड यूके-6, राजस्थान-2, पश्चिम बंगाल-2 और एनईआर-2

तालिका 5.3 : डीजीआईटी (प्रणाली) को प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट में सूचित डाटा प्रविष्टि संबंधी त्रुटियां

क्र. सं.	पीसीआईटी प्रभार	नि.व.	एओ द्वारा डीजीआईटी को रिपोर्टिड के रूप में रिटर्न्ड कृषि आय	एएसटी प्रणाली के अनुसार कृषि आय	डाटा प्रविष्टि त्रुटि	क्या धारा 143(3)/147 के अंतर्गत निर्धारण पूर्ण थे	यदि निर्धारण 143(3)/ 147 के तहत पूर्ण थे तो निर्धारित कृषि आय
1	पीसीआईटी, इलाहाबाद	2010-11	45000	45000450	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
2	पीसीआईटी, इलाहाबाद	2010-11	58500	58500585	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
3	पीसीआईटी, इलाहाबाद	2010-11	30000	3000030000	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
4	पीसीआईटी, इलाहाबाद	2008-09	शुन्य	10274780	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
5	पीसीआईटी, इलाहाबाद	2008-09	शुन्य	1640700	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
6	पीसीआईटी, इलाहाबाद	2008-09	शुन्य	10274175	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
7	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2010-11	22500	2250026594	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
8	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2009-10	26300	2630096170	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
9	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2008-09	125000	12500033600	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
10	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2010-11	65000	80000262	हाँ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2009-10	450000	45000023100	हाँ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2010-11	43400	434000262	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
13	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2010-11	60000	6000015060	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं

क्र. सं.	पीसीआईटी प्रभार	नि.व.	एओ द्वारा डीजीआईटी को रिपोर्टिड के रूप में रिटर्न्ड कृषि आय	एसटी प्रणाली के अनुसार कृषि आय	डाटा प्रविष्टि त्रुटि	क्या धारा 143(3)/147 के अंतर्गत निर्धारण पूर्ण थे	यदि निर्धारण 143(3)/ 147 के तहत पूर्ण थे तो निर्धारित कृषि आय
14	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2010-11	174900	174900121000	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
15	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2010-11	180000	18000060000	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
16	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2010-11	105000	105000155	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
17	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2011-12	34000	34000151	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
18	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2011-12	32400	324007708	हाँ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
19	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2011-12	42000	42000520	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
20	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2011-12	50200	50200154093	हाँ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
21	पीसीआईटी -3, जयपुर	2013-14	268632	23027645	हाँ	हाँ	268632
22	पीसीआईटी -1, जयपुर	2012-13	शून्य	82619934	हाँ	हाँ	शून्य
23	पीसीआईटी -1, जयपुर	2012-13	शून्य	18924521	हाँ	हाँ	शून्य
24	पीसीआईटी -1, जयपुर	2009-10	145000	14500000	हाँ	हाँ	145000
25	पीसीआईटी -1, जयपुर	2010-11	उपलब्ध नहीं	57206210912	हाँ ¹⁰⁶	हाँ	शून्य

¹⁰⁶ नि.व. 2008-09 और 2009-10 के लिए आईटीआर के अनुसार कृषि आय को ₹ 48,415 और ₹ 50,264 के रूप में दर्शाया गया था। अतः डाटा प्रविष्टि त्रुटि स्पष्ट है।

क्र. सं.	पीसीआईटी प्रभार	नि.व.	एओ द्वारा डीजीआईटी को रिपोर्टिड के रूप में रिटर्न्ड कृषि आय	एएसटी प्रणाली के अनुसार कृषि आय	डाटा प्रविष्टि त्रुटि	क्या धारा 143(3)/147 के अंतर्गत निर्धारण पूर्ण थे	यदि निर्धारण 143(3)/ 147 के तहत पूर्ण थे तो निर्धारित कृषि आय
26	पीसीआईटी -1, जोधपुर	2009-10	149860	149860149860	हाँ	नहीं	--
27	पीसीआईटी -2, जोधपुर	2008-09	4371122	43711220	हाँ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
28	पीसीआईटी (सी) -2, कोलकाता	2010-11	28769720	शुन्य	हाँ	हाँ	24962330
29	पीसीआईटी (सी) -2, कोलकाता	2007-08	26114750	शुन्य	हाँ	हाँ	23103850
30	पीसीआईटी (सी) -2, कोलकाता	2008-09	शुन्य	39104354	हाँ	हाँ	शुन्य
31	पीसीआईटी -17, कोलकाता	2015-16	शुन्य	17393270	हाँ ¹⁰⁷	नहीं	--
32	पीसीआईटी, बर्दवान	2008-09	5000	5000105700	हाँ	नहीं	--
33	पीसीआईटी (सी) -1, कोलकाता	2011-12	शुन्य	14644701	हाँ	हाँ	शुन्य
34	पीसीआईटी -9, कोलकाता	2008-09	20000	20000137697	हाँ	नहीं	--
35	पीआर। सीआईटी, शिलांग	2012-13	0	29152800	हाँ	नहीं	0
36	पीसीआईटी, डिब्रूगढ़	2013-14	16825686	20677808	हाँ	हाँ	16825686

चूँकि, उपरोक्त सूचित डाटा प्रविष्टि त्रुटियाँ दस राज्यों में केवल कुछ चयनित आयुक्तालय द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित थी तथा डीजीआईटी (प्रणाली) को स्थिति रिपोर्टों के प्रस्तुतिकरण के पालन को लेखापरीक्षा हेतु चयनित सभी कमिश्नरियों में सुनिश्चित नहीं किया जा सका, अतः ₹एक करोड़ से अधिक के कृषि आय दावों के लिए एएसटी डाटाबेस में कृषि आय में डाटा प्रविष्टि त्रुटियों से संबंधित सुधारों की स्थिति की जांच नहीं की जा सकी।

¹⁰⁷ भारत सरकार द्वारा कृषि भूमि के अधिगृहण के आधार पर निर्धारित द्वारा मुआवजे के रूप में प्राप्त राशि को नि.व. 2015-16 के लिए आय विवरणी में कृषि आय के रूप में गलत रूप से दर्शाया गया था।

जैसाकि लेखापरीक्षा में पाया गया, 36 मामलों में से 12 मामलों में आंकड़े प्रविष्टि त्रुटियों का सुधार विभाग द्वारा पता लगाए जाने के बावजूद अभी किया जाना था। इस प्रकार निर्धारिती द्वारा विवरणी दाखिल की गयी कृषि आय की तुलना में एएसटी डाटाबेस की परिशुद्धता विश्वसनीय नहीं मानी जा सकी। डाटाबेस में त्रुटियां दोहरा जोखिम दर्शाती हैं; एक तरफ कर की हानि और दूसरी तरफ करदाता को परेशान करना। इसलिए विभाग को सभी कमिश्नरियों के लिए ऐसे ही मामलों में ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपवाद को छोड़कर सभी मामलों में आंकड़ा प्रविष्टि की त्रुटियां सही कर दी गयी हैं।

सीबीडीटी को ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए प्रविष्टि डाटा के साथ-साथ निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत डाटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए रोक हेतु कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

5.9.5 अनुपालन मुद्दे - निर्धारणों में त्रुटियां

लेखापरीक्षा ने 20 मामलों में अधिनियम के प्रावधानों का आंशिक अननुपालन देखा जिसमें कृषि भूमि से प्राप्त आय हेतु गलत छूट अनुमति, आंशिक कृषि आय के लिए छूट की गलत अनुमति, गलत निर्यात टर्नओवर अपनाते के कारण पुनः बुआई व्यय की गलत अनुमति और मछली की बिक्री, बकरी की बिक्री, सुखे अंगूरों की बिक्री, दूध की बिक्री आदि के आधार पर गैर-कृषि आय को दी गई छूट शामिल है। ऐसे नौ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, कोयम्बटूर, तमिलनाडु; नि.व. 2013-14;

अनुमत कृषि आय: ₹ 734.04 लाख

अधिनियम की धारा 2(1क)(क) प्रावधान करती है कि कृषि आय में भारत में अवस्थित और कृषि उद्देश्य हेतु उपयोग की गई भूमि के किसी किराए या उससे प्राप्त राजस्व को शामिल किया जाता है। धारा 2(1क) के अंतर्गत व्याख्या 1 बताती है कि भूमि से प्राप्त राजस्व को भूमि के हस्तांतरण से सृजित किसी आय को शामिल नहीं किया जाएगा जोकि पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्धारण का भाग बनता है।

एक कंपनी के मामले में एओ ने फरवरी 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण ₹ 2.82 लाख की आय पर पूरा किया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 8.74 करोड़ के बिक्री प्रतिफल जिसमें पंजीकृत बिक्री विलेख में दर्शाए गए बिक्री प्रतिफल के ₹ 5.32 करोड़ और ₹ 3.42 करोड़ का प्रीमियम, जिसे पंजीकृत बिक्री विलेखों में नहीं दर्शाया गया था और इसमें

प्रीमियम भुगतान के लिए किसी स्टैंप शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, के लिए बिलपट्टी गांव, कोडाई कनाल तालुक, डिंडिगुल जिला में कृषि भूमि बेची थी। निर्धारिती ने कृषि भूमि के हस्तांतरण पर अर्जित लाभ के प्रति धारा 2 (1क)(क) के अंतर्गत ₹ 7.34 करोड़ की छूट का दावा किया था और उसे इसकी अनुमति मिली थी। चूँकि अचल संपत्ति के हस्तांतरण हेतु बिक्री प्रतिफल को पंजीकृत बिक्री विलेखों के अनुसार लिया जाना था, विक्रेता द्वारा पंजीकृत बिक्री प्रतिफल के अतिरिक्त प्राप्त किया गया प्रीमियम 'अन्य स्रोतों से प्राप्त आय' माना जाना था। ऐसा करने में हुई चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.11 करोड़ के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 3.42 करोड़ की अस्वीकार्य छूट अनुमति दी गई। आयकर विभाग ने मामले की जांच करने पर सहमति दी (अक्टूबर 2018)।

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-2, पुणे, महाराष्ट्र; नि.व. 2012-13;

अनुमत कृषि आय: ₹ 23.50 लाख

एओ ने मार्च 2015 में धारा 143(3) के अंतर्गत नि.व. के लिए निर्धारण ₹ 3.49 करोड़ पर पूरा किया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने देवलाली में कृषि भूमि बेची थी और इससे अर्जित लाभ के लिए धारा 2(1क)(क) के अंतर्गत ₹ 172.74 लाख की छूट का दावा किया था चूँकि, यह भूमि देवलाली छावनी बोर्ड से आठ किलोमीटर क्षेत्र में अवस्थित थी, अतः भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति माना जाना था। ऐसा करने में हुई चूक के परिणामस्वरूप ₹ 35.58 लाख के कम कर उद्ग्रहण सहित ₹ 172.74 लाख की अस्वीकार्य छूट अनुमति दी गई।

(ग) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, कोयम्बटूर, तमिलनाडु;

नि.व. 2012-13; नि.व. 2013-14 और नि.व. 2014-15;

अनुमत कृषि आय: ₹ 246.68 लाख, ₹ 291.85 लाख और ₹ 436.50 लाख

एओ ने उगाई गई एवं विनिर्मित चाय की बिक्री से प्राप्त कृषि आय के प्रति मार्च 2015, दिसम्बर 2015 और दिसम्बर 2016 में क्रमशः नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए निर्धारिती को ₹ 2.47 करोड़, ₹ 2.92 करोड़ और ₹ 4.37 करोड़ की छूट की अनुमति दी थी। विक्रेता द्वारा भारत में उगाई गई एवं विनिर्मित चाय की बिक्री से प्राप्त आय की गणना ऐसे की जाएगी जैसे कि यह व्यावसायिक आय है और इस आय के चालीस प्रतिशत को कर हेतु दायी माना जाएगा। शब्दावली 'से प्राप्त' का व्यापक अभिप्राय नहीं हो सकता जिससे कि ऐसी आय को शामिल किया जा सके जिसे किसी तरीके से व्यवसाय से जोड़ा जा सके। आय के स्रोत को सीधे व्यवसाय और उसके उत्पादन से जोड़ा

जाना चाहिए। यह न्यायिक रूप¹⁰⁸ से कहा गया कि ब्याज आय, शुल्क वापसी प्राप्तियों एवं डीईपीबी लाभों, सरकार से प्राप्त मालभाड़ा सब्सिडी/परिवहन सब्सिडी को सीधे ग्राह्य व्यवसाय से प्राप्त नहीं माना जाएगा।

व्यवसाय के करयोग्य लाभ की गणना करते समय नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमशः ₹ 80.30 लाख, ₹ 60.44 लाख और ₹ 70.75 लाख तक की शुल्क वापसी और डीईपीबी लाइसेंस आय को व्यवसाय से प्राप्त आय के रूप में गलत रूप से हिसाब में लिया गया था और ऐसी आय के 60 प्रतिशत पर छूट अनुमति दी गई थी। ऐसी आय को शामिल न करने के कारण ₹ 41.17 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 126.89 लाख की अधिक छूट अनुमति दी गई थी।

(घ) प्रभार: प्र. सीआईटी, डिब्रुगढ़, असम; नि.व. 2014-15;

अनुमत कृषि आय: ₹ 11.01 लाख

एओ ने उगाई गई एवं विनिर्मित चाय की बिक्री से प्राप्त कृषि आय के प्रति ₹ 11.01 लाख की छूट की अनुमति दी थी (मार्च 2016)। खरीदी गई पत्तियों से चाय के विनिर्माण से प्राप्त व्यावसायिक आय के करयोग्य लाभ की गणना करते समय ₹ 39.54 लाख के कृषि व्यय की गलती से अनुमति दी गई थी। ऐसे व्ययों को शामिल न करने के कारण व्यवसाय आय का ₹ 23.48 लाख तक अवनिर्धारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.25 लाख का कम कर उद्ग्रहण हुआ था।

(ड.) प्रभार: प्र. सीआईटी-6, बेंगलुरु, कर्नाटक; नि.व. 2013-14;

अनुमत कृषि आय: ₹ 353.37 लाख

एओ ने निर्धारिती को ₹ 3.53 करोड़ की कृषि आय के प्रति छूट की अनुमति दी थी (मार्च 2016) जिसमें छायादार वृक्षों (अर्थात्) सिल्वर ओक के वृक्ष तथा नीलगिरी वनों की बिक्री से प्राप्त ₹ 26.86 लाख की आय शामिल थी। यह न्यायिक रूप¹⁰⁹ से कहा गया कि चाय/काँफी एस्टेट के मालिक ग्रेविलिया वृक्षों को कोई आय प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं अपितु चाय/काँफी के पौधों को छाया प्रदान करने हेतु उगाते हैं तथा यह छाया चाय/काँफी की उचित कृषि हेतु आवश्यक है। इन वृक्षों को काटा गया और इन्हें समय के साथ बेकार होने के बाद बेच दिया गया था। चाय/काँफी एस्टेट में सिल्वर ओक के वृक्ष पूंजीगत

¹⁰⁸ लिबर्टी इंडिया-[2009] 317 आईटीआर 218 (एससी); पांडियन केमिकल्स लिमिटेड, 262 आईटीआर 278 (एससी); स्टर्लिंग फूड्स 237 आईटीआर 53 (एससी); कैम्बे इलेक्ट्रिकल सप्लाय कंपनी लिमिटेड 113 आईटीआर 84 (एससी)

¹⁰⁹ (1966) 60 आईटीआर 275 (एससी) और (1995) 222 आईटीआर 799 (कर)।

संपत्ति होते हैं और बिक्री द्वारा इनसे प्राप्त आय अधिनियम के तहत कृषि आय नहीं होगी।

छायादार वृक्षों की बिक्री को पूंजीगत प्रवृत्ति की मानने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 26.86 लाख की अधिक छूट अनुमति दी गई और ब्याज के अलावा ₹ 5.53 लाख के पूंजीगत प्राप्ति कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(च) प्रभार: प्र. सीआईटी-3, पुणे, महाराष्ट्र; नि.व. 2012-13;

अनुमत कृषि आय: ₹ 1,294.76 लाख

एओ ने नवम्बर 2014 में धारा 143(3) के अंतर्गत नि.व. 2012-13 के लिए निर्धारण को ₹ 95.15 लाख की आय पर पूरा किया था। कुल आय की गणना करते समय फूलदार और सजावटी पौधों के निर्यात से अर्जित आय को व्यावसायिक आय माना गया था और तदनुसार निर्धारिती के ₹ 1,338.22 लाख की कृषि आय के दावे में से ₹ 43.45 लाख की राशि की अनुमति नहीं दी गई। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि उपरोक्त व्यावसायिक आय की गणना करते समय निर्यात टर्नओवर को ₹ 322.12 लाख के वास्तविक निर्यात टर्नओवर के प्रति ₹ 218.80 लाख के रूप में गलती से लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.52 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 103.32 लाख की अधिक छूट अनुमति दी गई थी।

(छ) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, कोयम्बटूर, तमिलनाडु; नि.व. 2014-15;

अनुमत कृषि आय: ₹ 23.61 लाख

एओ ने निर्धारिती को कृषि आय, जिसमें ₹ 7 लाख तक बकरियों की बिक्री भी शामिल थी जिसे कृषि भूमि से प्राप्त आय नहीं माना जा सकता, के प्रति नि.व. 2014-15 के लिए निर्धारिती को ₹ 23.61 लाख की छूट अनुमति (अगस्त 2016) दी थी। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक रूप¹¹⁰ से यह पाया गया कि निर्धारिती की बकरियों को निर्धारिती की निजी संपत्ति नहीं माना जा सकता और तदनुसार आयकर हेतु बकरियों की बिक्री से प्राप्त आय निर्धारणीय है। छूट की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.16 लाख का कम कर उद्ग्रहण हुआ।

(ज) प्रभार: प्र. सीआईटी, बर्धवान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल; नि.व. 2012-13;

अनुमत कृषि आय: ₹ 30 लाख

एओ ने निर्धारिती को ₹ 30 लाख की कृषि आय, जिसमें ₹ 16.66 लाख तक मछलियों की बिक्री से प्राप्त आय शामिल थी, जिसे कृषि भूमि से प्राप्त आय

¹¹⁰ वी. कालीराजन बनाम आईटीओ, 2001 77 आईटीडी 31 मैड

नहीं माना जा सकता, के प्रति छूट की अनुमति दी थी (मार्च 2015)। यह निर्णय¹¹¹ लिया गया कि जलाच्छादित भूमि जिसे किसी कृषि उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया है, पर मछलीपालन से प्राप्त आय को कृषि से प्राप्त आय नहीं माना जा सकता, यहां तक कि मछली को भूमि उत्पादन नहीं माना जा सकता क्योंकि उनका मूल तत्व पानी है, अतः इनका कल्टिवेशन एवं देखभाल किसी भी प्रकार से कृषि पर निर्भर नहीं करती। गैर-कृषि आय हेतु गलत छूट अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 6.63 लाख का कम कर प्रभारित हुआ।

(च) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, पुणे, महाराष्ट्र; नि.व. 2014-15;

अनुमत कृषि आय: ₹ 117.21 लाख

एओ ने निर्धारिती को कृषि आय, जिसमें ₹ 93.31 लाख के सुखे अंगुरों की बिक्री और ₹ 0.37 लाख की दूध की बिक्री आय शामिल थी, के प्रति नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 117.21 लाख की छूट की अनुमति दी थी (दिसम्बर 2016)। चूँकि सुखे अंगूर (किशमिश) कृषि आधारित औद्योगिक उत्पाद है और दूध डेयरी उत्पाद है इसलिए इससे प्राप्त आय को कृषि भूमि से प्राप्त आय नहीं माना जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने निर्णय¹¹² लिया कि दूध की बिक्री की नियमितता प्रमाणित थी और बेचे गए दूध की मात्रा ने दर्शाया कि निर्धारिती ने जो संचालित किया था वह दूध उत्पादन और वाणिज्यिक प्रस्ताव के रूप में इसे बेचने का नियमित व्यवसाय था। दावे की अननुमति में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 28.95 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 93.68 लाख की अधिक छूट अनुमति दी गई थी।

5.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में जांचे गए 22.5 प्रतिशत मामलों में कृषि आय हेतु छूट अनुमति समर्थक दस्तावेजों जैसे भूमि अभिलेख, कृषि आय एवं व्यय के प्रमाण एवं दस्तावेजी साक्ष्य, जहां उपलब्ध थे, की प्रति जांच के सत्यापन के बिना दी गई। लेखापरीक्षा एओ द्वारा निर्धारण फोल्डरों/चर्चाओं तथा निर्धारण आदेशों के संदर्भ/में विस्तृत अभिलेखों की कमी से कृषि आय के आधार पर छूट के दावे की परिशुद्धता सुनिश्चित नहीं कर सकी। चूँकि, यह निर्धारित करना संभव नहीं था कि क्या मौजूदा प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुदृढ़ थी कि निर्धारितियों को निर्धारण प्रक्रिया में पर्याप्त जांच के बाद ही कृषि आय पर छूट अनुमति दी जा रही थी।

¹¹¹ कर्मा जयभारती बनाम आयकर अधिकारी, आईटीएटी, हैदराबाद, 2005

¹¹² सीआईटी बनाम आर. वेंकटस्वामी नायडू [1956] 29 आईटीआर 529 (एससी)

यद्यपि, 6,778 मामलों की नमूना संवीक्षा मामलों से प्राप्त 22,195 नमूनों में से जांच के आधार पर अपर्याप्त जांच या अपूर्ण दस्तावेजीकरण के आधार पर कृषि आय की छूट अनुमति के बारे में बताया गया है। आयकर विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुमति केवल पात्र निर्धारितियों को दी गई है तथा यह उचित दस्तावेजों तथा उनकी जांच पर आधारित है, जैसे बाद में सिफारिश की गई है, न केवल कृषि आय के शेष संवीक्षा मामलों की पुनजांच करनी चाहिए अपितु उन सभी मामलों की भी जांच करनी चाहिए, जहां आय की अनुमति कृषि आय के रूप में दी गई है।

डीजीआईटी (प्रणाली) ने उन 2,746 मामलों जहां विवरणी में कृषि आय ₹ एक करोड़ से अधिक थी, के संबंध में विवरणी फाइल करते समय डाटा प्रविष्टि त्रुटियों से संबंधित स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। केवल 26 आयुक्तालय ने 327 मामलों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई थी। शेष 110 आयुक्तालय की स्थिति ज्ञात नहीं है। इस छोटे से नमूने में भी 36 अर्थात् 11 प्रतिशत मामलों में डाटा प्रविष्टि त्रुटियां देखी गई थी। यहां तक की इन्हें पूर्णतः सुधारा भी नहीं किया गया था और इन एक तिहाई मामलों में त्रुटियां रह गईं।

अतः, यह चिंता का विषय है कि शेष मामले, जहां स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई थी, के साथ-साथ वे मामले, जिनकी कृषि विवरणी की आय ₹ एक करोड़ से कम थी, में समान त्रुटियां थीं। यह एएसटी डाटा को अविश्वसनीय बना देगी। ऐसे निरंतर डाटा प्रविष्टि त्रुटियों का कारण जांच का विषय है।

यह सिफारिश की जाती है कि:

- i) आयकर विभाग सभी आयुक्तालयों में उन सभी मामलों की 100 प्रतिशत जांच करे जहां दावा की गई कृषि आय निश्चित सीमा, उदाहरणार्थ ₹ 10 लाख या अधिक है और जांच तथा सुनिश्चित करे कि छूट अनुमति केवल योग्य निर्धारितियों को दी गई है तथा यह उचित दस्तावेजों एवं जांच पर आधारित है।
- ii) आयकर विभाग को कृषि आय के रूप में आय की छूट की अनुमति देने के लिए अपनी प्रणाली को मजबूत करना चाहिये क्योंकि मौजूदा प्रणाली छिद्रयुक्त और दुरुपयोग के लिए खुली है; जैसा कि अपनी नमूना लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा द्वारा इसे सामने लाया गया है। अभिलेखों के सत्यापन में सम्यक तत्परता और उचित दस्तावेजों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

- iii) आयकर विभाग को निर्धारण राशि के बीच असंतुलन के कारणों की जांच करने, और एटीएस में दर्ज की गई राशि के रूप में बदनीयत से बचने की आवश्यकता है। यदि गलतियां प्रमाणिक हैं, तो प्रणाली में कमजोरी को खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी परिस्थितियों में दो रिकॉर्डों में मेल होना चाहिए। वास्तव में, आयकर विभाग को यह जांचने की आवश्यकता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिटर्न को दाखिल किया जाता है तो निर्धारण उसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली रिटर्न पर नहीं किया जाता है, और क्यों एक आईटी प्रणाली के साथ सह अस्तित्व के लिए मैनुअल प्रक्रिया की अनुमति दी जाती है। आयकर विभाग को निर्धारिती या उसके प्रतिनिधि के साथ वास्तविक इंटरफेस समाप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए।

